कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

(1)

क्रमांक 1841 /तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 06 अप्रैल 2015

प्रति,

समस्त परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

विषय – वर्ष 2013–14 में नगरीय संस्थाओं के पंजीबद्ध पट्टों की जानकारी बाबत्।

–00–

स्टाम्प शुल्क अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 के स्पष्टीकरण–सात में यह प्रावधानित है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपकम द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे में दर्शाए गए मूल्य, प्रीमियम, तथा भाटक को ही बाजार मूल्य मान्य किया जाएगा।

2. इस संबंध में यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि राज्य की नगरीय संस्थाओं (नगर पालिका निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित पट्टों में दर्शाए गए मूल्य, प्रीमियम, भाटक को भी बाजार मूल्य मान्य किया जाए।

3. अतः आप अपने क्षेत्र के जिलों में वर्ष 2013–14 में नगरीय संस्थाओं द्वारा उनकी ओर से निष्पादित पट्टों की संख्या तथा उनके पंजीयन में प्राप्त स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी संकलित कर दिनांक 15.04.2015 तक इस कार्यालय को भेजें। इस संबंध में परीक्षण कर आप अपना अभिमत भी भेजें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

E:\virendra\Technical\LETTER2015_882